

Additional Agenda for 824th SEIAA Meeting dtd- 11-01-2024

S. No	Title's	Recommendation	Issues
1.	<p>प्रकरण क्र. 10293/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7088 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 39, 40, ग्राम जलेरिया, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।</p>	<p>EC granted in 823th SEIAA meeting dated 29-12-2023</p> <p>Re-consideration</p>	<p>प्रकरण में श्री प्रमोद यादव द्वारा यह शिकायत किया गया कि प्रस्तावित खदान में जिला सर्वेक्षण में दिए गए अक्षांश और देशांश की जानकारी तथा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये kML Image के अनुसार यह खदान 12 महीने नदी में Submerge रहती है, " Confluence of Narmada River and Nala " का है, जिसके कारण इस खदान में रेत उत्खनन का कार्य करना संभव नहीं होने की शिकायत की गई। शिकायत की प्रति संलग्न है</p> <p>शिकायत कर्ता द्वारा नोटराईजस शपथ पत्र पर यह लेख किया है कि प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में पूर्व मूल्यांकन करने बाबत दिनांक 07.11.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।</p> <p>तत्पश्चात् मुझे दिनांक 25.11.2023 को कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा मौका स्थल पर दिनांक 30.11.2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहा गया यह कि नियत दिनांक में उपस्थित रहा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करा लिया गया है।</p> <p>श्री रोहित शर्मा एडवोकेट लेक्स मेरिटा लॉ फर्म द्वारा दिनांक 05.01.2024 को नोटिस दिया गया प्रति संलग्न है।</p> <p>कृपया प्राधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है।</p>
2.	<p>प्रकरण क्र. 10322/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गिरीश खाण्डेकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 76, ग्राम भांजाखेड़ी-2, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।</p>	<p>EC granted in 823th SEIAA meeting dated 29-12-2023</p> <p>Re-consideration</p>	<p>प्रकरण में श्री प्रमोद यादव से प्राप्त शिकायत में यह लेख किया गया है कि प्रस्तावित खदान के संबंध में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए अक्षांश और देशांश की जानकारी के अनुसार यह खदान 12 महीने नदी में डूबी रहती है खदान के बीच में चैक डेम स्थित होने से उत्खनन कार्य नहीं किया जा सकता।</p> <p>शिकायत कर्ता द्वारा नोटराईजस शपथ पत्र पर यह लेख किया है कि प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में पूर्व मूल्यांकन करने बाबत दिनांक 07.11.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।</p> <p>तत्पश्चात् मुझे दिनांक 25.11.2023 को कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा मौका स्थल पर दिनांक 30.11.2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहा गया यह कि नियत दिनांक में उपस्थित रहा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करा लिया गया है।</p> <p>श्री रोहित शर्मा एडवोकेट लेक्स मेरिटा लॉ</p>

			<p>फर्म द्वारा दिनांक 05.01.2024 को नोटिस दिया गया ,प्रति संलग्न है ।</p> <p>कृपया प्राधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत है।</p>
3.	<p>Case No. 144/2008 Prior Environmental Clearance for Bauxite & Ochre Mine (Opencast Manual Method) in an area of 15.62 ha for production capacity 10,000 MT/year at Khasra nos. 302(P), 303(P) & 304(P) at Village Karigohi, Tehsil Majhgawan Distt.Satna (MP) by M/s Rakesh Agencies, PO Jaitwara, Distt. Satna (MP)</p>	<p>EC validity extension</p> <p>EC issued in 140 SEIAA meeting dated 04-07-2013</p>	<p>परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति की वैधता बढ़ाने हेतु फार्म-6 में आवेदन किया गया है ।</p>
4.	<p>प्रकरण क्र. 9393/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री किशोर कुमार आत्मज श्री करनसिंह, निवासी वार्ड नंबर 12, पोस्ट ऑफिस के सामने, तहसील रायसेन जिला रायसेन (म0प्र0) द्वारा फ्लैग स्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हे0, खसरा क्रमांक 254/1, ग्राम मुरैलकलां, तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।</p>	<p>EC issued in 805 SEIAA meeting dated 06-09-2023</p> <p>Coorigendum</p>	<p>परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-10 में पर्यावरण स्वीकृति के Auto Generated Page पर अंकित परियोजना प्रस्तावक का नाम श्री मर्दान सिंह धाकड़ के स्थान पर श्री किशोर कुमार किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।</p>
5.	<p>प्रकरण क्र. 9345/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश कुमार माहुले आत्मज स्व. श्री रामदुलारे माहुले, निवासी ग्राम परसवाड़ा चक, तहसील नैनपुर जिला मण्डला (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हे0, खसरा क्रमांक 21, ग्राम परसवारा चक, तहसील नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।</p> <p>435244</p>	<p>Case delist in 815 SEIAA meeting dated 01-10-2023</p> <p>EC recommended in SEAC 668 Meeting dated 09-08-2023</p>	<p>As recorded प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परधि में 02 अन्य स्वीकृत/संचालित खदानें हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के माध्यम से यथाशीघ्र निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलुओं का प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चानुसार Environmental Parameters का पुनः आकलन एवं अध्ययन कर पुनरीक्षित Site Specific इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (प्रस्तावित खदान का) यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये। 2. कलस्टर में सम्मिलित अन्य संचालित खदानों के कलस्टर का इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार कर अनुपालन प्रतिबद्धता सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। इसके अलावा Air Modeling में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, Air Modeling के Software का पूर्ण विवरण तथा Air Modeling Equation में उपयोग किये गये Data का पूर्ण विवरण का अनिवार्यतः समावेश कर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। <p>परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन वै दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p>

<p>6. प्रकरण क्र 6127/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री मूलशंकर लोहार आत्मज श्री रामरतन लोहार, निवासी ग्राम अनंतखेड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.) पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हे., खसरा 512, ग्राम - अनंतखेड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।</p> <p style="text-align: center; color: blue;">415587</p>	<p>Case delist in 818 SEIAA meeting dated 29-11-2023</p> <p>EC recommended in SEAC 676 Meeting dated 11-09-2023</p>	<p>As recorded राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय निम्नानुसार लिया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी में वर्तमान में जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें वायु गुणवत्ता के डाटा वर्ष 2019 के दिये गये हैं जबकि स्पष्टीकरण/जानकारी वर्ष 2023 में मांगी गई है। 2. क्लस्टर मैनेजमेंट प्लान को और Site Specific बनाकर युक्तियुक्तकरण किया जाये जिसमें क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदाने अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो तथा इसे सतत् प्रभावी ढंग से कैसे संचालित किया जायेगा, उसके बारे में भी जानकारी दी जाये। <p>परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी 15 दिवस में प्रस्तुत की जाये तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।</p> <p>परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन (वै दिनांक 21.12.2024 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p>
---	---	---